भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 4665</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

लकड़ी पर जीएसटी

4665. श्री सुनील कुमार पिंटूः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार घरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को माल और सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने या कर की दर को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): मकानों के निर्माण में प्रयोग आने वाले लकड़ी पर जीएसटी की दर को जीएसटी परिषद के सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया गया है। लकड़ी पर छूट दिए जाने को लेकर इस समय कोई भी सिफारिश नहीं की गई है।
(ख) तथा (ग): उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

*****